

कार्यों के वितरण के लिए निर्धारित मानक

एमएसटीसी के पास निम्नलिखित द्वारा अपने कार्यों और कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए अच्छी तरह से निर्धारित मानदंड हैं:

1. शक्तियों का प्रत्यायोजन:

अधिकारी समय-समय पर कंपनी द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य करते हैं। शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन की प्रति "शक्ति और कर्तव्यों" लिंक पर उपलब्ध है।

2. ऑपरेटिंग मैनुअल:

कंपनी के विभिन्न विभागों में अधिकारियों के कामकाज को विनियमित करने के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल हैं। ऐसे मैनुअल में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए परिचालन निर्देश होते हैं। अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, अधिकारी मैनुअल में निर्धारित मानदंडों द्वारा शासित होते हैं।

3. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश:

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, कंपनी का प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, समय-समय पर निर्देश/आदेश जारी करता है, जिनका कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश:

पीएसयू होने के कारण एमएसटीसी समय-समय पर जारी सीवीसी के दिशानिर्देशों का पालन करता है।

5. सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश:

कंपनी समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा शासित और विनियमित होती है।

6. विभिन्न परिनियमों, नियमों और विनियमों का अनुपालन:

कंपनी के अधिकारियों को अपने संबंधित कार्यों का निर्वहन करते समय भारतीय संविधान, परिनियमों, नियमों और विनियमों के लागू प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।